उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-68/2017/3812/71-2-2017-एस-13/2016
लखनऊ : दिनांक 27 सितम्बर, 2017

शुद्धि-पत्र

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में चिकित्सालय के वार्ड ब्लाक/ओ0पी0डी0 ब्लाक के नीचे स्थापित विद्युत उपकेन्द्र को पार्किंग परिसर में शिफ्ट करने, नये उपकरणों एवं भवन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-66/2017/3102/71-2-17-एस-13/2016, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा रू0 11,69,97,600/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 20-9-2017 के प्रस्तर-3 की पंक्ति-4 में त्रुटिवश शब्दों में "रूपया ग्यारह करोड उनहत्तर लाख सतानबे हजार छः सौ" मात्र के स्थान पर "रूपया ग्यारह करोड उनसठ लाख सतानबे हजार छः सौ" मात्र अंकित हो गया है।

2- अतः शब्दो में अंकित "रूपया ग्यारह करोड उनसठ लाख सतानबे हजार छः सौ मात्र" के स्थान पर "रूपया ग्यारह करोड उनहत्तर लाख सतानबे हजार छः सौ मात्र" पढा व समझा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

एन0एच0 रिजवी
विशेष सचिव।

संख्या-68/2017/3812(1)/71-2-17-तद्दिनांक

1 महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, इटावा ।
3. कुलपति/वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 लखनऊ/इटावा।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।